न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0

अपील संख्या :–41/2021

अपीलान्टः–

1. ज्ञानाराम पुत्र श्री हरूराम जाति जाट, निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी।
2. श्रीमान पटवार हल्का चारणवास

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 15.06.2021 न्यायालय तहसीलदार कुचामनसिटी अन्तर्गत प्रकरण संख्या 86/2020 राजस्थान सरकार बनाम ज्ञानाराम के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–**01.09.2021**

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामनसिटी के प्रकरण संख्या *02/2017 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम ज्ञानाराम निर्णय दिनांक 15.06.* 2021 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील कुचामनसिटी में पटवार हल्का चारणवास द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम चारणवास के खसरा नम्बर 393/362 किस्म गैर मुमकिन चाही 3 राजकीय भूमि में अपीलार्थी/अप्रार्थी ने 0.0912 है0 भूमि में से रकबा 0.0912 है0 भूमि पर काश्त (बाजरा, मूंग, ग्वार) कर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 15.06.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} (1) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.06.2021 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरित होने अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3} (2) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपीलल पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2021 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(3) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(4) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नही ली हैं तथा मौके की वस्तुस्थिति का भी कोई गौर नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(5) यह है कि अपीलान्ट कोई नोटिस इस प्रकरण के सम्बंध में नही दिया गया हैं एवं बगैर किसी व्यक्ति को सूचना दिये उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना विधि विरूद्ध हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(6) यह है कि अपीलांट के पास उसके नाप की ही भूमि हैं इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई भूमि नही हैं। अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगड्ढी का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के समक्ष पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट व अतिक्रमी घोषित किया जाना विधि विरूद्ध हैं।

{3}(7) यह है कि तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई हैं। जिस भूमि पर अतिक्रमण बताया हैं वह बिना नाम चौक के बताया गया हैं एवं जिस पर तहसीलदार कचामन द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{4 } उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 06.02.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 23.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2021/653 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि, आदेशिका की प्रमाणित प्रति, पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

393/362 की जमाबदी व नक्शा की प्रतिलिपी पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 15.06.2021 किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 23.06.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अतः अपीलान्ट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक की तिथि से एक माह की अवधि में अपील पेश कर दिये जाने से अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत तथा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि युक्त होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नही ली हैं तथा मौके की वस्तुस्थिति का भी कोई गौर नही किया है एवम् उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई नोटिस एवं सूचना नही दिये जाने से साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना होने से अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी के पास उसके नाप की ही भूमि हैं इसक़े अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई भूमि नही हैं। अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरीगड्ढी का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के समक्ष पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाना विधि विरूद्ध हैं। अधिवक्ता अपीलांट ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

यह भी निवेदन किया है कि तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण बताया हैं वह बिना नाप चौक के बताया गया हैं एवं जिस पर तहसीलदार कुचामन द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवार हल्का चारणवास की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम चारणवास के खसरा नंबर 393/362 कुल रकबा 0.0912 है0 भूमि किस्म गै0मु0चाही3 में से रकबा 0.0912 है0 भूमि अतिक्रमण किया हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 86/2020 में आदेशिका दिनांक 10.09.2020 को अप्रार्थी ज्ञानाराम पुत्र श्री हरूराम निवासी चारणावास को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन बाबत सूचना नोटिस जारी किया जाना लिखा गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थी/अपीलांट का तामील अथवा अदम तामील नोटिस उपलब्ध नहीं हैं। न्यायिक प्रकिया के अनुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में पक्षकारों को बाबत सूचना नोटिस जारी होकर बाद तामील मिसल में शामिल किया जाना चाहिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी नहीं कर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित करते हुए भारी भूल की है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है जो विधि के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

—:आदेश:—

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट/अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस तामील कर सुनवाई का उचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)